

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंडई, छुईखदान
जिला-खैरागढ़, छुईखदान, गंडई (छ0ग0)

प्रारूप-ग
(नियम 3 (2) देखिये)

अनुज्ञा रा.प्र.क. 202505290400009/अ-62 वर्ष 2024-25

क्रमांक/116/प्रस्तुतकार-1/अ.वि.अ./2025

गंडई-छुईखदान दिनांक 25/07/2025

प्रति,

गैदसिंग पिता समोधी जाति कवर

ग्राम- हाटबंजा प.ह.न. 12 रा.नि.मं. छुईखदान तहसील छुईखदान

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

विषय - वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 08.05.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 08.05.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 28.05.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

- खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या - 05 नग, सागौन
- खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या - 05 नग, सागौन

आवेदित भूमि ख.न. 236/1 रकबा 0.6680 हे. में निम्नांकित वृक्षों को काटने की अनुसंशा की गई है।

स.क्रमांक	ख0 न0	रकबा	वृक्ष की प्रजाति	सीने की गोलाई	ऊंचाई	वृक्ष की स्थिति
01	236/1	0.6680 हे.	सागौन	150 सें मी.	07 फीट	अर्धसुखा
02	236/1	0.6680 हे.	सागौन	174 सें मी.	09 फीट	अर्धसुखा
03	236/1	0.6680 हे.	सागौन	190 सें मी.	10 फीट	अर्धसुखा
04	236/1	0.6680 हे.	सागौन	180 सें मी.	06 फीट	गीला
05	236/1	0.6680 हे.	सागौन	120 सें मी.	04 फीट	गीला

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ख.न. 236/1, रकबा 0.6680 हे. ग्राम हाटबंजा प.ह.न. 12 रा.नि.मं. छुईखदान तहसील छुईखदान स्थित उपरोक्त सूची में अंकित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन 05 नग को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क.9 सन -1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वनोपज) नियम 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुज्ञा शुन्य होगी।

यह अनुज्ञा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गंडई-छुईखदान जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई